न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–251 / 2023 दायर दिनांकः 06.10.2023

GCMS NO:- 2023/388 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. लादूलाल आ0 लक्ष्मीनारायण जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
2. कमलेश आ0 प्रभू जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
3. महावीर आ0 प्रभू जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
4. हनुमान आ0 प्रभू जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
5. प्रसन्न बाई पत्नी प्रभू जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. हेमराज आ0 कल्याण जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
2. धन्नालाल आ0 कल्याण जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
3. रामरतन आ0 रामकुंवार जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
4. मसरी बेवा माधो जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
5. भंवरलाल आ0 माधो जाति धाकड नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
6. जगदीश आ0 राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
7. राधेश्याम आ0 राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
8. बृजमोहन आ0 राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
9. दामोदर आ0 राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
10. रामप्रसाद आ0 राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
11. भंवरलाल आ0 मांगीलाल जाति कोली नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
12. कन्हैयालाल आ0 मांगीलाल जाति कोली नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
13. रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति कोली नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
14. बृजराज आ0 राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
15. कंचन पुत्री राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
16. गीता पुत्री राजूलाल जाति महाजन नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।
17. **किशनलाल आ0 रामदेव जाति कुम्हार नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।(अपीलाण्ट)।**
18. **मोहनी बाई पुत्री रामदेव जाति कुम्हार नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।(अपीलाण्ट)।**
19. **प्रसन्न बाई पुत्री रामदेव जाति कुम्हार नि0 बंबूली तहसील नैनवॉ।(अपीलाण्ट)।**
20. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट।

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर धाकड।
अप्रार्थी सं0 17 लगायत 19 की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बंबूली स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 877 पर जाने के लिए नैनवॉ से बामनगांव जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा नम्बर 866, 869, 876, 864 व 863 की मेर पर से रास्ता चाहा गया था जिस क्रम मे इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 02.10.2021 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 865, 862, 864, 863, 876 मे से रास्ता निकटतम होने से प्रस्तावित किया जाकर दिया गया था जिसकी अपील प्रत्यार्थीगण संख्या 17 लगायत 19 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2023 को निर्णय पारित कर अपीलाण्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 व 70 के प्रकाश मे विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2023 की पालना मे प्रकरण इस न्यायालय मे दिनांक 06.10.2023 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान

किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर धाकड पूर्व वकालातनामा अनुसार उपस्थित रहे। अपीलाण्टगण 17 लगायत 19 की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा द्वारा दिनांक 18.12.2023 को UT (UnderTaking) ली गयी तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा दिनांक 30.4.2025 को UT (UnderTaking) ली गयी। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/947 दिनांक 04.06.2025 से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

आज दिनांक 11.6.2025 को पत्रावली मे सूनवाई की गयी जिसमे अपीलाण्टगण अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश नही किया गया लेकिन समक्ष न्यायालय उपस्थित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा भी वकालातनामा पेश नही किया गया लेकिन समक्ष न्यायालय उपस्थित रहे। बहस सूनी गयी जिसमे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाने मे कोई आपत्ती नही होना स्वीकार किया। अपीलाण्टगण अधिवक्ता जो वक्त सूनवाई समक्ष न्यायालय उपस्थित थे, द्वारा भी तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो कोई आपत्ती नही होना स्वीकार किया जिस पर उपस्थित अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाने मे कोई आपत्ती पेश नही की गयी लेकिन चुंकी अपीलाण्टगण 17 लगायत 19 के विद्वान अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता को कईं अवसर प्रदान करने के बावजूद भी वकालातनामा पेश नही किया गया जिससे इनका वकालातनामा पेश किये जाने का अवसर बंद किया जाता हैं।

हमने विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे निहित दस्तावेजों, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय दिनांक 28.08.2023, तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पुनः प्रेषित रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/947 दिनांक 04.06.2025 का अवलोकन व अध्ययन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 877 पर पहुंचने के लिए पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.10.2021 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 862, 863, 864, 865 मे से जो रास्ता दिया गया था, वह एक ही खातेदार की भूमि होने से रास्ता बनाने पर खातेदारी की भूमि दो भागों मे बंट जाती है जिससे वहां से रास्ता दिया जाना उचित नही होगा। अतः तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 869, 864, 876 व 863 मे से होकर तैयार कर पेश किया गया है, दिया जाने मे न्यायालय पूर्णतया संतुष्ट है तथा उक्त रास्ता दिया जाना उचित समझता है।

अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/949 दिनांक 04.06.2025 के अनुसार ग्राम बंबूली स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 877 पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 869, 864, 876 व 863 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट के नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौडाई	क्षेत्रफल
869	कन्हैयालाल वगै0 (खातेदारी)	बा. 2	56 मीटर	x 2 मीटर	112 मीटर **अर्थात 0.0112 हैक्टयर**
864	किशनलाल वगै0 (खातेदारी)	बा. 2	140 मीटर	x 2 मीटर	280 मीटर **अर्थात 0.0280 हैक्टयर**
876	गोलू वगै0 (खातेदारी)	बा. 2	102 मीटर	x 2 मीटर	204 मीटर **अर्थात 0.0204 हैक्टयर**
863	किशनलाल वगै0 (खातेदारी)	चाही 3 व जाव 3	20 मीटर	x 2 मीटर	40 मीटर **अर्थात 0.0040 हैक्टयर**

कुल क्षेत्रफल = 636 मीटर या 0.0636 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थीया का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ

BhuNaksha

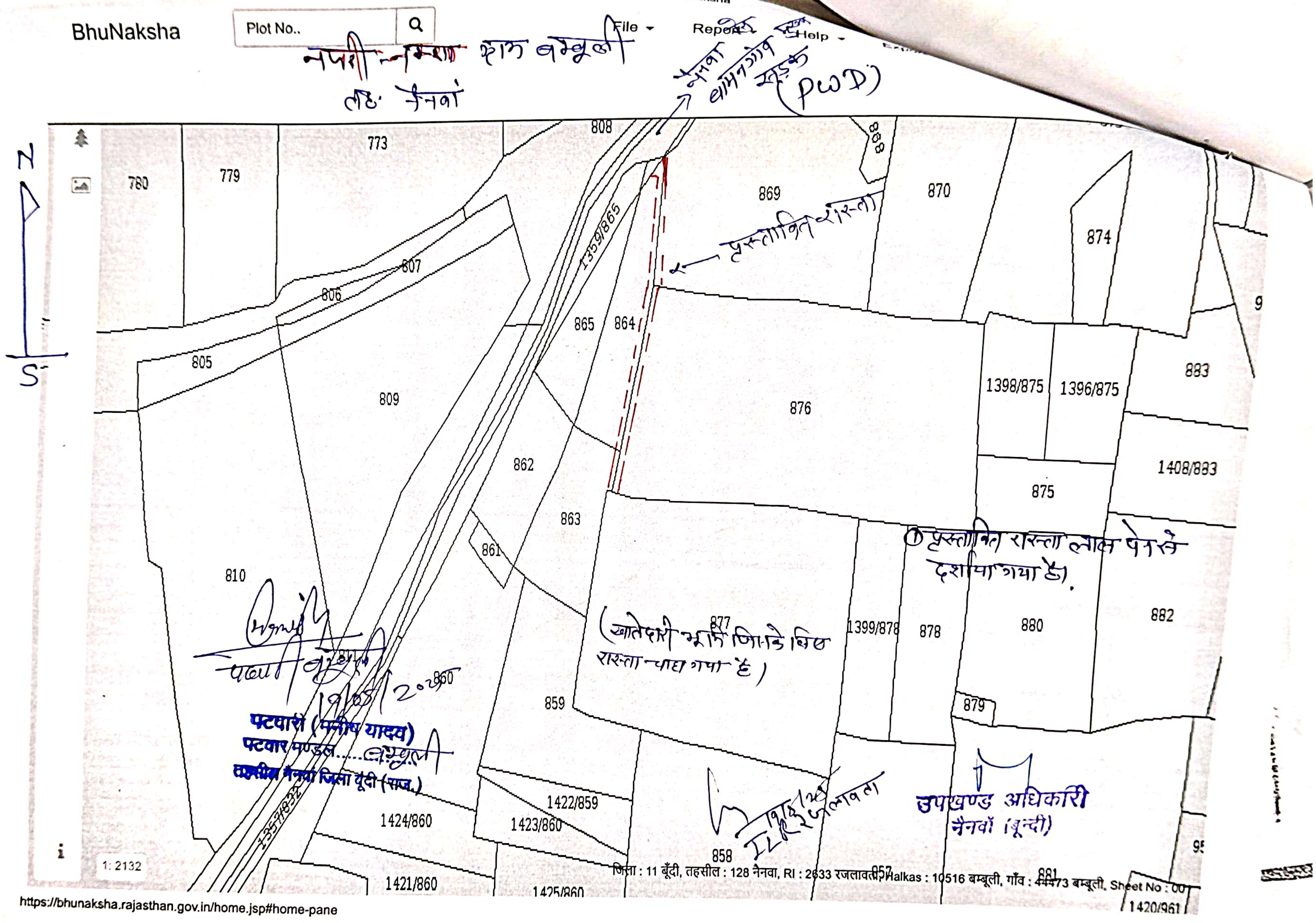

https://bhunaksha.rajasthan.gov.in/home.jsp#home-pane